भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3776
उत्तर देने की तारीख: 11.08.2026

पीएम-अजय के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों के छात्रावासों की स्थिति

3776. श्री बस्तीपति नागराजू:
श्री केसिनेनी शिवनाथ:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में स्वीकृत किए गए छात्रावासों की संख्या सहित पीएम-अजय के एक घटक बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत स्वीकृत अनुसूचित जाति (एससी) छात्रावासों का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) निर्माणाधीन छात्रावासों की भौतिक प्रगति सहित स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का आंध्र प्रदेश के संदर्भ सहित जिला-वार/राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) योजना के अंतर्गत पूर्ण किए गए ऐसे छात्रावास जो कार्यशील नहीं हैं का, आंध्र प्रदेश का जिला-वार सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या आंध्र प्रदेश में पीएम-अजय छात्रावासों के लिए बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता, स्टाफिंग और अधिभोग का आकलन करने के लिए कोई भौतिक निरीक्षण, जियो-टैग सत्यापन या तीसरे पक्ष का मूल्यांकन किया गया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो वर्ष 2021-22 में तीन मौजूदा योजनाओं, अर्थात प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) [जिसे अब आदर्श ग्राम कहा जाता है], अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए से एससीएसपी) [जिसे अब अनुदान सहायता कहा जाता है] और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) [जिसे अब एससी छात्रावास कहा जाता है] को मिलाकर अस्तित्व में आई। पीएम-अजय के छात्रावास घटक के तहत, 2021-

22 से 2025-26 तक, 66 जिलों में कुल 90 छात्रावासों को मंजूरी दी गई है, जिससे 10,649 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं और 198.52 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। जारी की गई निधियों, छात्रावासों को पूरा करने के साथ-साथ स्वीकृत छात्रावासों और वास्तविक प्रगति (आन्ध्र प्रदेश राज्य सहित) का राज्य-वार ब्यौरा संलग्नक में दिया गया है।

(घ) से (ङ): पीएम-अजय के अंतर्गत छात्रावासों का भौतिक निरीक्षण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) द्वारा किया गया है। नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) के माध्यम से पीएम-अजय योजना का मूल्यांकन भी किया गया है। मूल्यांकन में कई राज्यों में योजना के सभी तीन घटकों अर्थात आदर्श ग्राम, अनुदान सहायता और छात्रावास को शामिल किया गया तथा इसकी प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और परिणामों का आकलन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि पीएम-अजय राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के साथ जुड़ी हुई है और इसने अनुसूचित जाति समुदायों के बुनियादी ढांचे, शैक्षिक पहुंच और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार में योगदान दिया है। पीएम-अजय योजना के छात्रावास घटक के तहत आंध्र प्रदेश के लिए छात्रावासों सहित स्वीकृत छात्रावासों की जियो-टैगिंग और जियो-फेंसिंग की गई है और इसे पीएम-अजय पोर्टल पर दर्शाया गया है।

संलग्नक

'पीएम-अजय के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों के छात्रावासों की स्थिति' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3776 के भाग (क) से (ड.) के संबंध में संलग्नक 2021-22 से 2025-26 के दौरान स्वीकृत 90 छात्रावासों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवर किए गए जिलों की संख्या	स्वीकृत छात्रावासों की संख्या	कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपये में)	पूरे किए गए छात्रावासों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	16	25	2,930	33.14	0
2	असम	5	7	1,000	14.29	0
3	बिहार	0	0	0	0	0
4	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0
5	गुजरात	0	0	0	0	0
6	हरियाणा	3	3	584	2.58	0
7	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
8	जम्मू कश्मीर	0	0	0	0.40	0
9	झारखंड	0	0	0	0	0
10	कर्नाटक	8	11	975	21.9	0
11	केरल	0	0	0	2.70	0
12	मध्य प्रदेश	1	1	250	7.5	1
13	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0
14	मणिपुर	2	4	400	10.89	0
15	मेघालय	0	0	0	0	0
16	मिजोरम	2	3	450	7.8	0
17	नागालैंड	8	8	1,200	44.62	8
18	ओडिशा	4	5	500	7.50	0
19	पंजाब	0	0	0	0	0
20	राजस्थान	2	3	550	7.5	0
21	सिक्किम	1	2	200	7.18	0
22	तमिलनाडु	3	4	300	4.88	0
23	तेलंगाना	1	2	500	7.5	0
24	त्रिपुरा	3	3	200	9.62	1
25	उत्तर प्रदेश	4	6	410	3.45	0
26	उत्तराखंड	3	3	200	4.87	0
27	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
28	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
29	दिल्ली	0	0	0	0	0
30	पुडुचेरी	0	0	0	0	0
कुल		66	90	10,649	198.52	10
